राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम);

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त);

III- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र);

IV- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र); एवं

V- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014.

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रामलाल गुर्जर, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2014-2015, समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवन्तपुरा मुख्यालय पर मॉडल स्कूल खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत्; एवं

2- सड़वा मोड़, जयपुर से जमवारामगढ़ बांध तक की सड़क को फोर लेन बनाने बाबत्।

(III) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- अनार की खेती को बागवानी मिशन में लेने एवं सिवाना क्षेत्र में अनार मण्डी खोलने बाबत्; एवं

2- सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने बाबत्।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015

(I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-16)	''ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए विधेयक।''

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	19	-	लोक निर्माण कार्य
2.	21	-	सड़कें एवं पुल

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट– आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

7. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-3)	''वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।''

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 24 मार्च, 2015